हिमाचल प्रदेश

सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार विधेयक-2009

सर्व शिक्षा अभियान के अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय समितियां

हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रत्येक जिले में सर्व शिक्षा अभियान के 'कार्यक्रम कार्यान्वयन के अनुश्रवण के लिए जिला स्तरीय समितियां गठित करने का निर्णय लिया है। इस बारे में एक अधिसूचना जारी की गईहै। समितियां सम्बन्धित जिलों में स्कूलों में चलाई जा रही 'मध्याह्न भोजन योजना का अनुश्रवण भी करेंगी।

जिला स्तरीय समिति में सांसद, विधायक, जिला परिषद/शहरी निकाय के सदस्य, उपायुक्त, अधीक्षण अभियनता (सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य) जिला कल्याण अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान के क्षेत्र में कार्य कर रहे दो स्वयंसेवी संगठन जिनका मनोनयन उपायुक्त द्वारा किया जाएगा, सदस्य होंगे जबकि जिला प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी इस समिति के सदस्य सचिव होंगे।

वरिष्ठतम सांसद जो बैठक में उपस्थित होगा, वह आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेगा।

जिला स्तरीय समिति सम्बन्धित जिला में मध्याह्न भोजन योजना तथा सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की प्रगति के अतिरिक्त निष्कर्ष संकेतकों, नामांकन, स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या तथा छात्रों की अधिगम उपलब्धि स्तरों का अनुश्रवण करेगी।

समिति के सदस्यों के सुझाव सर्व शिक्षा अभियान तथा मध्याह्न भोजन योजना के दिशानिर्देशों अनुसार विचारणीय होंगे तथा स्थानीय स्तर पर कार्यान्वित दोनों योजनाओं के लिए वार्षिक कार्य योजना तथा बजट को स्वीकृत किया जाएगा।

6 से 14 वर्ष के छात्रों को अन्य सहयोग सेवाएं तथा स्कूलों के आधारभूत संरचना में सुधार लाने के लिए सम्बन्धित सरकारी विभागों में तालमेल बारे कार्य करेगी।

समिति की बैठक तिमाही बैठक आयोजित की जाएगी।

संविधान के 45वें अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत राज्यों को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए विशेष उपाय किए जाने का प्रावधान था लेकिन इसका अधिक उपयोग नहीं हो सका।

वर्ष 1992 में उन्नीकृष्णन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विचार रखा कि शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना जाना चाहिए क्योंकि यह जीने के अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभिन्न अंग है।

वर्ष 2008 में संविधान के 86वें संशोधन में 21-ए अनुच्छेद के तहत 6-14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आवश्यक प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया।

अनुच्छेद 21-ए ने सरकार के लिए आवश्यक प्रारंभिक शिक्षा अधिनियमन लाना अनिवार्य कर दिया जिसके परिणामस्वरूप बच्चों की निःशुल्क एवं आवश्यक शिक्षा विधेयक 2009 अस्तित्व में आया।

विधेयक में बाल अधिकार की अवधारणा

- विधेयक अनिवार्य शिक्षा, उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा के समापन पर केन्द्रित है।
- क्योंकि बच्चे को आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाना है अतः स्कूल छोड़ चुके तथा स्कूल में दाखिल ही न होने वाले बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण (सेतु पाठ्यक्रम) का प्रावधान किया गया है।

  जबकि बिल बच्चों को स्कूल में लाने हेतु अंततः उत्तरदायी एजेंसी को निर्दिष्ट नहीं करता।
- बाधाओं का निराकरण : आयु एवं ट्रांसफर प्रमाण पत्र पर जोर नहीं; निःशुल्क से तात्पर्य है वित्तीय बोझ बच्चे पर नहीं होकर, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, बच्चों को शिक्षा दिलाने की विवशता राज्य की होगी मात्र अभिभावकों की नहीं।
- बच्चों को स्कूल से निकालना, शारीरिक दण्ड देना तथा फेल करना बच्चों के दिलोदिमाग पर स्थायी रूप से प्रतिकूल प्रभाव डालता है अतः इस पर रोक लगाना। लेकिन कक्षा में वास्तविक अधिगम उपलब्धि हासिल करने के लिए कुछ कड़े मानक निर्धारित करने की आवश्यकता भी विधेयक में निहित।

स्कूलों के लिए मानक

- समीपवर्ती स्कूल की संकल्पना राज्य सरकार पर निर्भर तथा अधिनियम के शुभारंभ की तिथि से तीन वर्ष के भीतर इसे लागू करना।
- संरचनात्मक ढांचा, छात्र अध्यापक अनुपात तथा स्कूल कार्य दिवस संबंधी मानक सुनिश्चित करना।
- कमज़ोर तबके तथा स्टेक होल्डर्ज़ के प्रतिनिधित्व सहित प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रबन्धन एवं विकास समितियों का गठन।
- मान्यता के बिना निजी स्कूल न खोलना, किसी प्रकार का कैपिटेशन शुल्क न लेना तथा स्कूल में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का साक्षात्कार न लिया जाना भी विधेयक में शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली लोगों को संरक्षण न मिले यह भी सरकार को देखना होगा।
- निजी स्कूलों में कुल सीटों का 25 प्रतिशत समाज के कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित।

अध्यापकों की भूमिका एवं योग्यता

- प्रत्येक स्कूल में अध्यापकों की निश्चित न्यूनतम संख्या हो जो कि विधेयक के तहत निर्धारित छात्र-अध्यापक अनुपात के अनुरूप हो।
- अध्यापकों की न्यूनतम योग्यता केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत अकादमिक अथॉरिटी द्वारा निर्धारित की जाए।
- अध्यापकों की जनगणना, आपदा राहत तथा चुनावों के अलावा अन्य गैर शैक्षिक कार्यों हेतु तैनाती की मनाही।
- बच्चों को बाल मैत्री वातावरण में पढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित तरीकों का प्रयोग करना।
- अभिदेश यह है कि यदि बच्चा वर्तमान प्रणाली में प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहा हो तो प्रणाली को बच्चों तक भिन्न प्रकार से परामर्श एवं विभिन्न पाठ्यचर्या अनुभवों के माध्यम से पहुंचाना होगा।

पाठ्यक्रम/परीक्षा पैटर्न में सुधार

- विधेयक के अन्तर्गत किसी भी बच्चे के प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक अनुत्तीर्ण करने अथवा पाठशाला से निकालने की मनाही है।
- प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं।
- अनुत्तीर्ण न करने से तात्पर्य यह भी नहीं कि एक बच्चे की अधिगम योग्यता हासिल करने की प्रक्रिया बाधित हो।
- पाठ्यक्रम एवं अध्ययन कोर्सों का समयावधि में निर्धारण

साझा दायित्व

- शिक्षा एक समवर्ती विषय है अतः विधेयक के कार्यान्यन के लिए राज्य एवं केन्द्र मिलकर खर्च उठाएंगे। यह दायित्व वे किस अनुपात में उठाएंगे, यह संविधान के अधिनियम 280 (डी) के तहत वित्त कमीशन निर्धारित करेगा।
- विधेयक के कार्यान्वयन में पंचायतों के लिए महत्त्वपूर्ण दायित्व एवं भूमिका सुनिश्चित की गई है। कर्नाटक में समुदाय को अहम भूमिका सौंपे जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न अध्ययनों में यह पाया गया है कि इससे उनकी जवाबदेही एवं कार्यनिष्पादन क्षमता में अपार वृद्धि हुई है।

शिकायत निवारण

- विधेयक में अध्यापकों, स्कूल के ढांचे संबंधी शिकायतों, का निवारण एक निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
- विधेयक को लागू करने के लिए राज्य को राज्य सलाहकार परिषद का गठन करना होगा। राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकार संरक्षण राष्ट्रीय आयोग (बाल अधिकार विधेयक 2005 के संरक्षण हेतु आयोग द्वारा स्थापित) विधेयक के तहत प्रदान किए गए सुरक्षण (सेफगाड्स) की समीक्षा तथा मामलों की तहकीकात करेगा। ट्राइंग केसिस में आयोग के पास एक सिविल कोर्ट के समान शक्तियां होंगी।
- इसी तर्ज़ पर राज्य सरकार भी राज्य स्तर पर एक राज्य कमीशन गठित करेगी।
- बाल अधिकारों का संरक्षण करने, अधिकारों के लिए सुरक्षण जांचने तथा कार्यान्वयन हेतु मानकों की संस्तुति एवं अपीलों पर निर्णय करने के लिए भी राज्य को एक आयोग का गठन करना होगा।

विधेयक के मुख्य पहलू

- 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एव्म अनिवार्य शिक्षा।
- जन्म प्रमाण पत्र का अभाव पाठशाला में प्रवेश के लिए बाधा नहीं।
- अक्षम बच्चों को भी निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।
- प्रवेश के समय छात्र व अभिभावक के साक्षात्कार लेने की मनाही।
- निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए आरक्षित।
- संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस लेने की मनाही।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को अनुतीर्ण करने अथवा पाठशाला से निष्कासित करने पर प्रतिबंध।
- प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक कोई बोर्ड परीक्षा नहीं ।
- छात्र के शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न पर रोक।
- विद्यालय संचालन विद्यालय प्रबन्धन विकास समिति के द्वारा।

विविध प्रावधान

- मानकों की अनुपालना न करने वाले निजी स्कूलों को मान्यता नहीं दी जाएगी तथा स्कूल के बारे में इस प्रकार की जानकारी मिलने के तुरन्त बाद मान्यता रद्द होगी।
- केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, निजी स्कूल तथा सैनिक स्कूलों के लिए कुल सीटों का 25 प्रतिशत अपने आसपास के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों हेतु आरक्षित करना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में संवैधानिक मान्यता को चुनौती दी जा सकती है।
- बिल के तहत अध्यापकों से अपेक्षा रखी गई है कि वे नियमित रूप से कक्षाएं लें, बच्चों के अधिगम स्तर को आंके, अभिभावक-अध्यापक बैठकों का नियमित आयोजन करें तथा पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से बच्चों के साथ पूरा करें।

राज्य की प्रतिबद्धताएं

- सभी स्कूलों द्वारा अनुसूची में निर्धारित मानकों एवं मानदण्डों की अनुपालना सुनिश्चित करना।
- स्कूल वार छात्र-अध्यापक अनुपात सुनिश्चित करने हेतु अध्यापक उपलब्ध करवाना।
- यह सुनिश्चित करना कि भविष्य में अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न हो तथा पहले से नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- धारा 29 के तहत विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम की समीक्षा करना।
- यह अधिसूचित करना कि अध्यापक गैर शैक्षिक कार्य में न लगाए जाएं तथा वे निजी तौर पर ट्यूशन न दें।
- किसी भी बच्चे को अनुत्तीर्ण न करने की योजना बच्चों का प्राथमिक में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रगति तथा स्कूलों एवं बच्चों के पूर्व स्कूलों को नामित करने संबंधी अधिसूचना जारी करना।
- आठवीं कक्षा तक कोई बोर्ड परीक्षा न लेना, किसी भी बच्चे का पाठशाला से निष्कासित न करना तथा शारीरिक दण्ड पर प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना जारी करना।
- सामुदायिक सहयोग से स्कूल प्रबन्धन विकास समितियों की स्थापना, स्कूल प्रबन्धन का सुदृढ़ीकरण/स्कूलों का निरीक्षण करना। सभी पंचायतों एवं स्थानीय संकायों को स्थानीय अथॉरिटीज़ के रूप में अधिसूचित करना।
- निजी विद्यालयों को मान्यता देने, भूमि के स्थान पर निःशुल्क सीटें रखने तथा प्रतिपूर्ति भत्ता देने आदि विषयों पर एक यंत्र रचना (मकेनिज़्म) अधिसूचित करना।
- धारा 31(1) के अनुसार कार्यनिष्पादन हेतु अथॉरिटीज़ का गठन।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए अधिगम संवर्धन कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेश की सभी प्राथमिक पाठशालाओं में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत आधार कार्यक्रम 2006 में शुरू किया गया था जिससे भाषा एवं गणित में बच्चों का उपलब्धि स्तर बढ़ाने में बहुत मदद मिली है। वर्तमान सत्र में भी यह कार्यक्रम अपने नए स्वरूप, आधार प्लस के रूप में चलाया जा रहा है। इसी तर्ज पर उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में भी बच्चों को (तीन विषयों) अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान में (संवृद्धि) अधिगम संवर्धन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इन विषयों में बच्चों की समझ विकसित करने एवं सभी आयामों का सूक्ष्म अवलोकन करने के लिए कार्यक्रम को प्रोजेक्ट अथवा गतिविधि आधारित बनाया गया है। इससे बच्चों में इन विषयों के प्रति रोचकता बढ़ेगी एवं तार्किक दृष्टिकोण का विकास होगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य : अंग्रेजी में निश्चित समय के लिए चलने वाले इस कार्यक्रम के निहित उद्देश्य रखे गए हैं। (1) बच्चों को प्रश्न आधारित सीमित वार्तालाप करने में सक्षम बनाना। (2) अंग्रेजी अक्षरों से सम्बन्धित ध्वनि को पहचानना, लिखना एवं शबदों में इनका प्रयोग। (3) अंग्रेजी में अनुच्छेद एवं सरल कहानियां पढ़ सकना।

शिक्षक प्रशिक्षण की रूपरेखा

यह कार्यक्रम हिमाचल की सभी उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए चलाया जा रहा है। कार्यक्रम के सम्बन्ध में प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक जिले के लगभग 20 अध्यापकों को जुलाई मास में प्रशिक्षित किया जा चुका है। यहां मुख्य शिक्षक प्रशिक्षक अंग्रेजी विषय पर हर विद्यालय के सम्बन्धित विषय के अध्यापकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं जिससे प्रतिदिन कक्षा कक्ष में शिक्षक यह गतिविधियां सुचारू रूप से करा सकें। चूंकि इस कार्यक्रम में स्वयंसेवी संस्था 'प्रथम' सर्व शिक्षा अभियान का सहयोग कर रही है, इसलिए कार्यक्रम में सहयोग हेतु 20 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए एक प्रथम संकुल समन्वयक को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त गणित एवं विज्ञान में गतिविधियां कराने के लिए सम्बन्धित विषयों के अध्यापक प्रशिक्षित किए गए हैं।

कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं समय सारणी

कार्यक्रम में गणित एवं विज्ञान विषयों को सामान्य कालांश में ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिए गए प्रशिक्षण के अनुसार ही गतिविधियां कराई जा रही है। संवृद्धि कार्यक्रम के तहत अंग्रेजी विषय के लिए विद्यालय अपनी सुविधा एवं बच्चों की संख्या के अनुसार अन्य विषयों से समय निकाल कर अलग पीरियड रखेगा। यह पीरियड अंग्रेजी के सामान्य पीरियड से अलग है। संवृद्धि अंग्रेजी विषय के लिए आवंटित इस समय में की जाने वाली गतिविधियों को तीन भागों में बांटा गया है।

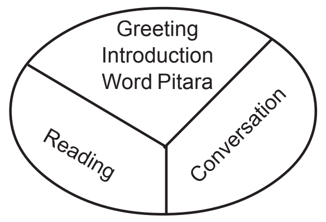

कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री : इस कार्यक्रम में अंग्रेजी विषय के अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों को प्रभावी बनाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान द्वारा तैयार सामग्री सभी सम्बन्धित स्कूलों को उपलब्ध करवा दी गई है। कक्षा-कक्ष में अध्यापन के लिए शिक्षक मार्गदर्शिका (12 week teaching manual), गतिविधियां कराने के लिए सहायक सामग्री के तौर पर चार्ट एवं कार्ड तैयार किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों के अभ्यास के लिए कार्य-पुस्तिकाएं (work books) भी दी गई हैं।

मूल्यांकन : प्रशिक्षण लेने के उपरांत सर्वप्रथम शिक्षक द्वारा अंग्रेजी में प्रत्येक बच्चे का पूर्व आकलन किया जाएगा। अंग्रेजी में पढ़ने का स्तर, विषय की समझ (comprehension), सीमित वार्तालाप कर सकने की क्षमता (limited conversation) एवं लेखन जांच के मुख्य बिन्दु हैं। जांच प्रपत्र (Testing Tool) शिक्षक मार्गदर्शिका के साथ संलग्न किया गया है। इस जांच का खाका शिक्षक छात्रों के कक्षा एवं वर्गानुसार (Category-wise) तैयार करेंगे जिसके लिए उन्हें छात्रवार compilation फार्मेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। इन फार्मेट्स पर प्रत्येक विद्यालय से कक्षावार रिपोर्ट को संकुल, खण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर संकलित किया जाएगा।

प्रस्तुति : ज्योति रावत

खण्ड स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियां एवं उपलब्धियां

शिक्षा खण्ड नेरवा – शिमला

प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु चलाए जा रहे एक महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिला शिमला के शिक्षा खण्ड नेरवा में पिछले आठ वर्षों में अनेक गतिविधियां की गईं। खण्ड के ज्यादातर शिक्षण संस्थान सड़क मार्ग से दूर है। यह खण्ड उत्तर में पौड़िया से और दक्षिण में मनेवटी पंचायत तक फैला है जबकि दक्षिण पश्चिम में देईया पंचायत से लेकर उत्तर-पूर्व में थरोच पंचायत तक फैला है। इस खण्ड की सीमा दक्षिण में उत्तराखण्ड राज्य केसाथ है। उत्तर-पूर्व में इसका क्षेत्र शिक्षा खण्ड जुब्बल के साथ लगता है। यह खण्ड क्षेत्रफल की दृष्टि से जिला शिमला का सबसे बड़ा खण्ड है।

शिक्षा खण्ड का मुख्यालय नेरवा में स्थित है। तहसील चौपाल के इस शिक्षा खण्ड में कुल 164 विद्यालयों में से 116 प्राथमिक, 40 उच्च प्राथमिक (जिसमें 20 माध्यमिक पाठशालाएं, 8 उच्च पाठशालाएं व 12 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं) तथा 9 निजी विद्यालय हैं। सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के संचालन हेतु इस खण्ड को 17 संकुल स्रोत केन्द्रों में विभाजित किया गया है। खण्ड की सरकारी पाठशालाओं में सितम्बर 2009 की स्थिति में कक्षा 1 से 5 तक 3551 विद्यार्थी जिनमें 1754 छात्र व 1797 छात्राओं को 240 अध्यापक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जबकि कक्षा छठी से आठवीं तक 2308 विद्यार्थी जिनमें 1102 छात्र व 1206 छात्राएं, 202 शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

सर्व शिक्षा अभियान ने स्कूल से बाहर रह गए बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कई प्रावधान किए हैं, जिनमें इस खण्ड में वैकल्पिक केन्द्र चलाए गए थे व दो वैकल्पिक केन्द्रों को प्राथमिक पाठशाला में बदला गया। इन केन्द्रों से 210 बच्चों को लाभ हुआ। खण्ड में अनुसूचित जनजाति के गुज्जर समुदायों के छात्रों में बार-बार विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति है और अभी भी क्षेत्र के ग्राम पंचायत रूसलाह के तरशानू क्षेत्र और संकुल केन्द्र भराजू के अधीनस्थ मूलशाक व जलारा व पबान पंचायत के अन्तरोली क्षेत्र के विद्यार्थियों को मिलाकर खण्ड में 129 विद्यार्थी व अन्तरोली में वैकल्पिक विद्यालय के संचालन हेतु प्रस्ताव राज्य परियोजना कार्यालय के लिए प्रेषित है।

शिक्षा खण्ड नेरवा में विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान विद्यालय स्तर पर की गई व कुल 241 छात्रों में से 119 छात्र व 122 छात्राओं की पहचान की गई। खण्ड में 28 मार्च 2009 को चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 460 विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को चिकित्सा लाभ हुआ तथा शिविर के परिणामस्वरूप 18 बच्चों को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से करैक्टिव सर्जरी अलग-अलग स्तर पर चल रही है। इनमें से चार लड़कों व एक छात्रा पर कुल 28450 रुपये का खर्च सर्व शिक्षा अभियान द्वारा दिया गया। उच्च पाठशाला गुम्मा और उच्च पाठशाला कुठार में मार्च 2009 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण व पेरेन्ट्स काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण से 50 अक्षम बच्चे लाभान्वित हुए व अभिभावकों को इनके बच्चों के उत्थान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई।

शिक्षा खण्ड में घुमन्तू परिवारों के गुजर समुदाय से जुड़े 25 विद्यालय से बाहर, बच्चों का राजकीय प्राथमिक पाठशाला तरशानू में वर्ष 2009 में नामांकन किया गया। इन बच्चों को मुफ्त बैग, वर्दी व लेखन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इस प्रयास में चौपाल उपमण्डल के उपमण्डल अधिकारी ने व्यक्तिगत रुचि दिखाई जिस के परिणामस्वरूप इन बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा गया। शिक्षा खण्ड के 10 मेधावी बच्चों को दो अध्यापकों की देखरेख में राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस की प्रदर्शनी के लिए सोलन भेजा गया। इसके अतिरिक्त लड़कियों के प्रोत्साहन हेतु कई गतिविधियां खण्ड स्तर पर चलाई गईं जैसे मीना सप्ताह, बाल मेला इत्यादि। खण्ड के सभी 40 अप्पर प्राइमरी विद्यालयों में वर्ष 2008 और वर्ष 2009 में लड़कियों के उत्थान हेतु जीवन उपयोगी शिक्षा के अंतर्गत योग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए। इस प्रशिक्षण का लाभ वर्ष 2008 में जहां 1220 छात्राओं ने उठाया। इस वर्ष 1206 छात्राएं लाभान्वित हो रही हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑर्ट ऑफ लिविंग व पंतजलि योगपीठ के सौजन्य से किया गया।

सर्व शिक्षा अभियान में गुणात्मक शिक्षा हेतु चल रही गतिविधियों के परिणाम से ही संभव हुआ है कि आज खण्ड में बच्चों की एक ही कक्षा में पुनरावृत्ति मात्र 2:4 है। खण्ड का पीटीआर छात्र-अध्यापक अनुपात 14:1 है। विद्यालय कलास रूम दर 14:38 है। वर्ष 2008 में पांचवी कक्षा में जहां 40 प्रतिशत बच्चों ने 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए, वहीं यह दर आठवीं कक्षा में 30 प्रतिशत है।

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शिक्षा खण्ड के 406 शिक्षकों ने 15 दिन का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। इनमें 226 प्राथमिक शिक्षक व 180 माध्यमिक स्तर के शिक्षक हैं। वर्ष 2009 में विषयवस्तु पर आधारित प्रशिक्षण के अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर आधार व आधार प्लस कार्यक्रम पर और माध्यमिक स्तर पर संवृद्धि पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य अध्यापन में निखार लाना और समय की मांग के अनुसार शिक्षक को तैयार करना है। इसी संदर्भ में पूरे प्रदेश में सतत् समग्र मूल्यांकन कार्यक्रम लागू किया गया है और खण्ड के 416 शिक्षकों को सतत् समग्र मूल्यांकन पर प्रशिक्षण दिया गया। यह मूल्यांकन वर्ष 2009 से पूरे प्रदेश में प्रभावी होगा जिसमें कक्षा पहली और दूसरी पर 100 प्रतिशत, कक्षा तीसरी से पांचवीं तक 60 प्रतिशत सीसीई, 20 प्रतिशत मध्य परीक्षा व 20 प्रतिशत वार्षिक परीक्षा पर मूल्यांकन किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर यह मूल्यांकन 40 प्रतिशत सीसीई पर आधारित, 30 प्रतिशत मिड टर्म परीक्षा पर व 30 प्रतिशत वार्षिक परीक्षा पर आधारित होगा। इस संदर्भ में सभी विद्यालय प्रमुखों को भी अवगत करवाया गया है। खण्ड में वर्ष 2009 में अक्तूबर मास तक अध्यापक प्रशिक्षण पर कुल 5,00,899/- (पांच लाख आठ सौ निन्यानवे) रुपये खर्च किए गए तथा 5370 श्रम दिवस लगे। सतत् समग्र मूल्यांकन से संबंधित पूरी सामग्री विद्यालयों में पहुंचाई जा चुकी है। इसमें पेरा कार्ड, वाक्य चार्ट, कहानी व अभ्यास पुस्तिकाएं शामिल हैं। अधिगम प्रसार कार्यक्रम के अंतर्गत खण्ड के अप्पर प्राइमरी विद्यालयों को 700 रुपये प्रति विद्यालय की दर से 28 हजार रुपये की राशि दी गई है। इस राशि का प्रयोग अध्यापकों द्वारा बच्चों की सहायता से विज्ञान प्रोजेक्ट को तैयार करने में किया जाएगा।

इस खण्ड में वर्ष 2002 से 2009 तक 4 संकुल स्रोत भवन, 141 अतिरिक्त कमरे, 24 पेयजल सुविधाएं, 55 शौचालय, 9 सीमा दीवार, 151 रसोईघर और 36 बाला फीचर्स स्वीकृत किए जा चुके हैं। अक्षम बच्चों को बाधारहित वातावरण मुहैया करना सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है। इसी संदर्भ में खण्ड के 24 विद्यालयों में रेल व रैम्प के लिए 2,23,216 (दो लाख तेईस हजार दो सौ सोलह रुपये) स्वीकृत किए गए हैं। खण्ड में 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। खण्ड के 15 विद्यालयों में टीएलई हेतु 50 हजार रुपये प्रति विद्यालय की दर से 7,50,000 की राशि दी जा चुकी है। सर्व शिक्षा अभियान की 33 प्रतिशत राशि ढांचागत विकास हेतु खर्च की जाती है। इसके परिणाम खण्ड के स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं से साफ झलकते हैं। राजकीय माध्यमिक पाठशाला थियारा के 30 छात्रों के लिए 15 बैंचों की खरीद हेतु 21000 रुपये स्वीकृत हुए। पिछड़ा क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत 13 माध्यमिक पाठशालाओं के 502 बच्चों के लिए 251 डैस्क की खरीद पर 3,51,400 रुपये व्यय किए गए तथा खण्ड की पांच वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं के लिए फर्नीचर ग्रांट के अंतर्गत 3,05,500 रुपये खर्च किए गए। खण्ड में स्कूलों के रखरखाव, विकास अनुदान, अध्यापक अनुदान, पाठशाला योजना व समुदाय सहभागिता हेतु वर्ष 2009-10 के लिए मरम्मत हेतु 7,54,000 रुपये स्कूल अनुदान हेतु 5,80,000 रुपये, पाठशाला योजना हेतु 15,600 रुपये और समुदाय प्रशिक्षण हेतु 41760 रुपये दिए गए। खण्ड में कम्प्यूटर सहायक अधिगम कार्यक्रम के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पौड़िया में कक्षा छठी से आठवीं तक के 250 विद्यार्थियों को अभी तक कम्प्यूटर शिक्षा का लाभ मिला है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की राजकीय माध्यमिक पाठशाला बनूटी में जिला स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में खण्ड के 20 अक्षम बच्चों ने भाग लिया। इनमें 5 बच्चों ने अलग-अलग प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया और 4 बच्चों ने द्वितीय स्थान अर्जित किया।

इस प्रकार खण्ड में इन आठ विगत वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र अभूतपूर्व विकास हुआ है। चाहे वह अध्यापक प्रशिक्षण हो, शिक्षा की गुणवत्ता हो या फिर ढांचागत सुविधाएं। खण्ड स्रोत समन्वयक का लगातार सभी विभागों से समन्वय बना रहता है जैसे स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व वन विभाग। इन विभागों के अधिकारी स्रोत व्यक्ति के रूप में सर्व शिक्षा अभियान की कार्यशालाओं में निरन्तर भाग लेते हैं। जिससे कि विद्यालय से संबंधित समस्याओं का निदान शीघ्र हो सके। सर्व शिक्षा अभियान के लागू होने से निश्चित तौर पर विद्यालयों में शिक्षण व अन्य सुविधाओं में अभूतपूर्व बदलाव आया है।

दिनेश स्टेटा,
खण्ड स्रोत समन्वयक (प्राथमिक), शिक्षा खण्ड नेरवा, शिमला